

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

महत्वपूर्ण अवसर

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है। लेकिन इसे एक तिथि तक सीमित कर दिया गया है। यह हमें ऐतिहासिक महिला संघर्षों तथा अभी मौजूद चुनौतियों की याद दिलाती है। खासकर भारतीय महिलाओं ने अपाधारण अधिकार और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना किया है। विश्व मंच पर वे अपने विशिष्ट साहस और प्रतिबद्धता से बने बनाए ढांचे तोड़ने में सफल हुई हैं और उन्होंने अनेक पन्हों पर अपनी अमित छाप छोड़ी है जिन पर अंतर्निहित रूप से पितृसत्तात्मक समाज में ऐतिहासिक रूप से पुरुषों तथा थोड़ी सी महिलाओं का प्रभुत्व था। आज हम इन उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अभी भारतीय महिलाओं की सच्ची मुक्ति का काम जारी है और वास्तव में यह निरंतर यात्रा है। अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग सीमाबंधन वाले सामाजिक मानकों और जेंडर पूर्वग्राहों से भरा है जिनको पार करना है। भारतीय महिलाओं को यह काम करना होगा। ऐतिहासिक रूप से चूल्हे चौके से बंधी महिलाओं की शिक्षा और करियर विकलपों तक सीमित पहुंच थी और भारतीय महिलाओं का रास्ता आसान नहीं था। आज समय के साथ जेंडर विभाजन कमज़ोर पड़ने के बावजूद आधुनिक भारतीय महिलाओं ने तृतीयकारी भूमिकाओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा की चिन्तायें, खासकर जेंडर-आधारित निपटने के लिए न केवल व्यवस्थागत परिवर्तन, बल्कि सड़ी-गली सोच में व्यापक परिवर्तन जरूरी हैं। सांस्कृतिक उम्मीदों ने महिलाओं पर बोझ डाला है, जिसके कारण अक्सर उनको पेशेवर आकांक्षाओं तथा परंपरागत पारिवारिक भूमिकाओं में संतुलन बनाना होता है। अक्सर इस दुहरी जिम्मेदारी के कारण करते हुए यह तथा अनेक महिलाओं को मातृत्व लाभ तथा लचीले कार्यस्थल परिवेश जैसे संस्थागत समर्थन के अभाव में कार्यबल से हटाना पड़ता है। इन बाधाओं के बावजूद भारतीय महिलाओं ने अपनी दृढ़ता एवं उत्कृष्टता सिद्ध करते हुए पुरुष-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अपना स्थान बनाया है। एक समय केवल पुरुष प्रभुत्व वाले क्षेत्र सशस्त्र बलों में आज महिलायें फ़ाइटर पाइलटों, कमार्डिंग अफिसरों तथा प्रॅटलाइन योद्धाओं के रूप में काम कर रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी में किरन मजूमदार शॉ, उद्यमिता में फ़ालुनी नायर तथा खेलों में रानी रामपाल ने सफलता को पुनः परिभाषित करते हुए लाखों लोगों को प्रेरणा दी है। महिला पत्रकारों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने प्रमुखता प्राप्त की है जिनमें वाइरोलोजी में गगनदीप कांग से लेकर भारत की 'मिसाइल महिला' टेसी थामस तक शामिल हैं। भारतीय न्यायपालिका एक समय पूर्ण पुरुष प्रभुत्व वाली थी, पर अब उसमें महिला जज न्याय दे रही हैं। इनमें जस्टिस बीबी नागरता शामिल हैं जो देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनेंगी। हालांकि, ये उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं, पर सच्ची जेंडर समानता अभी आनी बाकी है। राजनीति और कार्पोरेट बोर्ड रूमों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून हैं, पर अक्सर उनका क्रियान्वयन कमज़ोर होता है। शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता के अभी इन मूलाधिकारों तक पहुंच नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए नीतिगत सुधारों के माध्यम से समान वेतन, स्मार्ट कार्यस्थल तथा करियर में प्रगति के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है जिसमें जेंडर समानता के समर्थन में पुरुष सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। स्कूलों में समावेशन के मूल्य पढ़ाए जाने चाहिए। शुरुआत से ही जेंडर समानता का विचार समाहित किया जाना चाहिए। लड़कियों से अक्सर उनके माता-पिता द्वारा किया गया भेदभाव निंदनीय है। यह भेदभाव अनेक स्तरों पर है और इसे इक्वलिटी शाताव्दी में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत में महिला सहभागिता देश का भविष्य पुनः परिभाषित कर सकती है। नीति निर्मांताओं, बिजनेसों तथा समाज के सामूहिक प्रयास से महिलाओं का उत्थान केवल विमर्श से आगे बढ़ कर दिन-प्रतिदिन का यथार्थ बन सकता है। यह रास्ता लंबा है, पर भारतीय महिलाओं ने बार-बार दिखा दिया है कि उनको रोका नहीं जा सकता है। महिला केवल परिवर्तन का हिस्सा न हो कर अपने आप में परिवर्तन है।

‘‘

जन औषधि योजना

भारत सरकार की जन औषधि योजना से आम जनता के औषधियों पर होने वाले खर्च में काफी कमी आई है। औषधि निर्माताओं द्वारा उत्तम गुणवत्तापूर्ण औषधियां प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों पर अत्यन्त कम मूल्य में उपलब्ध हैं। भारत सरकार आयुर्वेद को भी प्रोत्साहित कर रही है किन्तु दुर्भाग्य से अच्छे निर्माताओं द्वारा निर्मित आयुर्वेद औषधियों के बहुत अधिक मूल्य के कारण सामान्य उपभोक्ता इनका लाभ उठाने में असमर्थ हैं। अधिक उपयोग वाले शास्त्रीय आयुर्वेद योगों को अच्छे निर्माताओं द्वारा निर्मित करवा कर न्यूनतम मूल्य पर जन औषधि केन्द्रों पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इससे जनसामान्य में आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आयुर्वेद विशेषज्ञों से ऐसी औषधियों की सूची सरलता से बनवाई जा सकती है। जन औषधि केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन इसके साथ-साथ एलोपैथिक डाक्टरों व अस्पतालों द्वारा मरीजों को जेनेरिक नामों से दवा के पर्चे देना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि वे आसानी से जन औषधि केन्द्रों से दवायें खरीद सकें। देश में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ाने तथा जनता को यथासंभव स्वास्थ्यरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यापक स्वास्थ्य शिक्षण अधियान चलाने की भी जरूरत है।

- जय पक्षा गम. अम्बाला

महिला मुद्दों को हाशिए पर धकेलने के बजाय उनको नीति-निर्माण तथा प्रशासन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें प्रतीकात्मक संकेतों तथा लफ्फजी से आगे बढ़ना चाहिए।



रा जननीति में शामिल महिला तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की पैरोकार के रूप में मैं इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त करती हूँ। यह अवसर न केवल उत्सव का, बल्कि हमारे द्वारा की गई प्रगति तथा सच्ची जेंडर समानता प्राप्त करने की दिशा में लंबे रास्ते पर विचार करने का समय है। इस वर्ष का महिला दिवस दिल्ली चुनाव के लगभग एक महीने बाद आया है जिसने चौथी महिला मुख्यमंत्री तथा पहली बार विषयक की महिला नेता नियुक्त कर इतिहास रचा है। हमने यहाँ अभूतपूर्व मतदान भी देख जिसमें महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। 60.2 प्रतिशत पुरुषों की उल्लंगन में 60.9 प्रतिशत महिलाओं ने अपने

60.9 प्रतिशत महिलाओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली में इस बार सबसे अधिक संख्या में महिलाओं ने चुनाव लड़ा जो कुल उम्मीदवारों में 14 प्रतिशत थीं। लेकिन यही बात निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में नहीं कही जा सकती है।

नाहरे तिथि के लिए विकल्प तक प्रतिशत तक प्रति कर सरकारी जो एक दशक में सबसे कम थीं। इन आंकड़ों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के रूप में देखने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण कानून पास किया गया है। सभी पार्टियों का पूर्ण समर्थन मिलने के बावजूद यह कानून अभी अधर में लटका है और इसके क्रियान्वयन के पहले जनगणना तथा परिसीमन गतिविधियां पूर्ण होने की प्रतीक्षा है।

100 QUESTIONS ON POLYMER

चुनावों में सामने आया है। यहां भी महिला उम्मीदवारों की संख्या 9 प्रतिशत थी तथा महाराष्ट्र विधानसभा में केवल 8 प्रतिशत महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व मिला। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या 10 प्रतिशत थी, जबकि 14 प्रतिशत महिलायें विजय प्राप्त करने में सफल रहीं। झारखण्ड में महिला उम्मीदवारों की संख्या 11 प्रतिशत थी, जबकि 15 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व चुनी गई। हालांकि, हम राजनीति में ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर महिलाओं को लक्षित विमर्श प्रतिगामी बना हुआ है। अनेक राजनेताओं ने महिलाओं के पहनने वाले कपड़ों और उनके व्यवहार को लेकर महिला-विरोधी टिप्पणियां की हैं, जबकि स्वयं उनको ही अपना व्यवहार सुधारना चाहिए।

महिलाओं को ही लगातार उनके उत्तीर्ण का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि जेंडर-आधारित हिंसा का कारण बनने वाले ढांचागत मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत में अब भी विवाह संबंधों में बलात्कार पर कोई कानून नहीं है। महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने वाला महाराष्ट्र का प्रस्तावित 'शक्ति विधेयक' केन्द्र की सहमति के बिना वापस कर दिया गया।

जिस समाज में महिलाओं की सुक्षा और गरिमा बहस का विषय हो, वह समानता के रास्ते पर चलने का दावा नहीं कर सकता है। प्रतिनिधित्व में जेंडर अंतर राजनीति से आगे कार्पोरेट दुनिया तक जाता है। कंपनी बोर्डों में कम से कम एक महिला के प्रतिनिधित्व के प्रतीकवादी प्रयासों के बावजूद समानता की दिशा में प्रगति धीमी है।

भारत में कार्पोरेट कंपनियों के बोर्डों में महिलाओं को 2023 में केवल 18 प्रतिशत सोटें मिली थीं, जबकि इनका वैश्विक औसत 23 प्रतिशत है। इस संख्या में भी कंपनी बोर्डों की अध्यक्षता करने वाली महिलाओं की संख्या केवल 4 प्रतिशत है। उच्चतम कार्यकारियों के स्तर पर स्थिती और खराब है। दुनिया भर में केवल 6 प्रतिशत महिला सीईओ हैं, जबकि भारत में यह संख्या केवल 5 प्रतिशत है। मध्यवर्ती प्रबंधन भावी नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण होता है, पर यहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व घटा है। मध्यवर्ती प्रबंधन में 2019 में 18-19 प्रतिशत महिलायें थीं, पर कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के बाद उनकी संख्या घट कर केवल 14-16 प्रतिशत रह गई। वरिष्ठ एवं मध्यवर्ती प्रबंधन में महिला कर्मचारियों का हिस्सा भारत में केवल 12.7 प्रतिशत है जो पड़ोसी देशों की

तुलना में बहुत कम है। यह श्रीलंगा में 24.6 प्रतिशत तथा थाईलैंड में 34.7 प्रतिशत है। महिला उद्यमियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। महिला उद्यमियों के सूचकांक में भारत का 57वां स्थान है, जबकि केवल 20 प्रतिशत बिजनेसों का नेतृत्व ही महिलाओं के हाथ में है। फंडिंग में अंतर खासतौर से बहुत अधिक है। भारत में वेंचर कैपिटल की केवल 3 प्रतिशत फंडिंग ही 2021 में महिला-नीत स्टार्टअप को जाती थी। हालांकि, फंडिंग में यह असमानता केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर भी महिला-नीत स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल का बहुत थोड़ा हिस्सा मिलता है।

अमेरिका में महिलाओं का 40 प्रतिशत बिजनेसों पर स्वामित्व होने के बावजूद उनको केवल 2 प्रतिशत वेंचर फंडिंग मिलती है। यूरोप की भी यही स्थिति है जहां पुरुष-नीत स्टार्टअप लगातार निवेशों का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। निवेश प्रक्रिया में जेंडर पूर्वाग्रह सुस्थापित है। प्रयोगों से पता चला है कि महिला के बजाय पुरुष नियंत्रण में होने पर समान प्रकार के स्टार्टअप को ज्यादा फंडिंग मिलने की संभावना होती है। निवेशक जहां पुरुष फंडर्स से वृद्धि संभावनाओं पर बात करते हैं, वहाँ महिला उद्यमियों से उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं, जैसे महिलाओं की पदोन्नति पर निगरानी करनी चाहिए। निवेशकों और वेंचर पूर्जीपतियों को अपने पूर्वाग्रहों को संबोधित कर महिला उद्यमियों को समुचित अवसर देना चाहिए। शिक्षा और कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लड़कियों का सशक्तीकरण होना चाहिए ताकि वे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिकायें निभा सकें।

यह भी जरूरी है कि एक समाज के रूप में हम ऐसा परिवेश बनाएं जहां महिलायें सुरक्षित अनुभव करें तथा कार्यस्थल पर, राजनीति में व सार्वजनिक स्थलों पर उनको समर्थन मिले। यौन उत्पीड़न तथा कार्यस्थल पर भेदभाव को कठोर विधिक संरक्षण तथा जीरो-टालरेंस नीतियों से समाप्त कर जन प्रतिनिधियों को ये मूल्य प्रकट करने चाहिए। महिला मुद्रों को हाशिये पर धकेलने या दोयम दर्जे का समझने की प्रवृत्ति के बजाय उनको नीति निर्माण व प्रशासन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। इस महिला दिवस पर हमें प्रतीकात्मक संकेतों से आगे बढ़ना चाहिए। समय आ गया है कि इन संख्याओं को व्यावहारिक कार्रवाई में बदला जाए तथा लफकाजी से आगे बढ़ कर ऐसी दुनिया बनाई जाए, जहां महिलायें जीवन के हर क्षेत्र में समान साझीदार बनें।

बलात्कार पीड़ितों को त्वारित न्याय जरूरी

यौन हिंसा के पीड़ितों को सिफर्फ़ कानूनी व्याय से ज्यादा की ज़रूरत है। उन्हें अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए समग्र सहयोग की ज़रूरत है।

योगिता भयाना
(लेखिका, बलात्कार
पीड़िमत एक्टिविस्ट हैं)

भा रत में यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई
अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे देश
में हर महिला को सुरक्षा, सम्मान और न्याय
का प्रौद्योगिक अधिकार है। फिर भी, यौन हिंसा
की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो हमारे
सामाजिक ढांचे में गहरी जड़ें जमाए बैठती
चुनौतियों को उजागर करती हैं। हमें ऐसे
अपराधों को रोकने और एक ऐसा भविष्य
बनाने के लिए निर्णयक और समाधान-
उन्मुख कदम उठाने चाहिए जहां महिलाएं और
बच्चे वास्तव में सुरक्षित हों।

पारी फांटेंडेशन के संस्थापक के रूप में,
मैंने अपना जीवन बलात्कार और यौन हिंसा
के पीड़ितों की बकालत करने के लिए
समर्पित कर दिया है। 16 दिसंबर, 2024 को,
पारी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ

हिंसा का राकथाम पर पहला बार राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। इस ऐतिहासिक घटना ने यौन हिंसा से निपटने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसमें नीति निर्माताओं, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, शिक्षकों और परिदिव्वितों को रोकथाम, प्रतिक्रिया और युनर्वास के लिए ठोस उपायों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। इस पहल के केंद्र में आगाज़ का सुधारणं था, जो लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए एक व्यापक, समाधान-संचालित दृष्टिकोण पर केंद्रित एक कार्यक्रम था।

सुधारा है। इन प्रकार की समाजीय विश्वासीता का एक संरक्षण है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों को लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। लैंगिक समानता, सहमति और दर्शकों के हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए छात्रों, शिक्षकों और अधिभावकों के लिए नियमित रूप से अनिवार्य कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल और कॉलेज कर्मचारियों के लिए योनि

पाइडन का राकथाम प्रशश्नक्षण आनवय हाना चाहिए, जबकि यौन अपराधों से बच्चों की विरक्षा प्रशश्नक्षण सभी शिक्षकों और प्रशासकों लिए एक आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे उन्हें बच्चों की प्रभावी रूप से सुरक्षा रखने के लिए ज्ञान से लैस किया जा सके। अतः नीतियों से परे, स्कूलों को अपने दृष्ट्यक्षम में लैंगिक अध्ययन और आवनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशश्नक्षण को शामिल रखना चाहिए, जिससे युवा दिमागों को रिश्तों एवं सम्मानजनक और स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिले। डिजिटल विद्या शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, जिससे छात्रों ने साइबरस्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल सहमति के जौखिमों को समझने में दद मिले। यौन हिंसा से निपटने के लिए अपराधिक मनोविज्ञान और मीडिया के प्रभाव भी समझना महत्वपूर्ण है। यौन अपराधियों को प्रेरणाओं, टिगर्स और व्यवहार पैटर्न की विवरण करने के लिए शोध का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे लक्षित रोकथाम नीतियों को विकसित करने में मदद मिले। मीडिया द्वारा लैंगिक गतिरीलता के चित्रण का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाना

साथ हा जम्मदाराना कहाना कहन
वादे देने के प्रयास किए जाने चाहिए जो
मददानी और हानिकारक रूढ़ियों को
देते हैं।

सके अतिरिक्त, यौन हिंसा की समाचार
में सुधार की आवश्यकता है।
पीछेज या असंवेदनशील कवरेज
पीड़ितों को फिर से पीड़ित बनाता है।
लालत्कार की संस्कृति को मजबूत करता
डिया को मामलों की रिपोर्टिंग में नैतिक
निर्देशों का पालन करना चाहिए, ताकि
की पहचान और अधिकारों की रक्षा
।

यौन हिंसा के पीड़ितों को सिर्फ़ कानूनी
से ज्यादा की ज़रूरत है। उन्हें अपने
को फिर से बनाने के लिए समग्र
की ज़रूरत है। हर शहर, क्षेत्र और
बलात्कार संकट केंद्र (ऋष्ट) स्थापित
जाने चाहिए, जो पीड़ितों को चिकित्सा,
वित्तीय और मनोवैज्ञानिक सहायता
करें। उन्हें स्वतंत्रता और स्थिरता हासिल
में मदद करने के लिए व्यावसायिक
ग और शैक्षिक सहायता प्रदान की जानी
। पीड़ितों को दोषी ठहराने और पीड़ितों

अर असंक्षिप्त बनाने के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक दोलन शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे जुड़ी मिथकों को चुनौती देने, विश्वास करने के महत्व पर जो शिक्षित करने और हिंसा को लिए दर्शकों के हस्तक्षेप को बदलने के लिए सार्वजनिक अभियान जाने चाहिए। पुलिस सुधार भी लौ है। कानून प्रवर्तन की अक्षमता बदलनशीलता अक्सर पीड़ितों को रिपोर्ट करने से हतोत्सवित करती है। इसके मामलों को सहानुभूति और साथ संभालने के लिए प्रशिक्षित लोगों साथ समर्पित आपातकालीन दस्तावेजों पर स्टाफ होना चाहिए। प्रथम नियम और फारेंसिक टीमों को साक्ष्य दिए गए और फारेंसिक जांच के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। विशेषज्ञों के भीतर विशेष जांच (स्ट्रू) बनाई जानी चाहिए, जिसमें विशेषज्ञ, परामर्शदाता और कानूनी शामिल हों, जिन्हें यौन हिंसा के संभालने के लिए विशेष रूप से

जन औषधि योजना

भारत सरकार की जन औषधि योजना से आम जनता के औषधियों पर होने वाले खर्च में काफी कमी आई है। औषधि निर्माताओं द्वारा उत्तम गुणवत्ता पूर्ण औषधियां प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों पर अत्यन्त कम मूल्य में उपलब्ध हैं। भारत सरकार आयुर्वेद को भी प्रोत्साहित कर रही है किन्तु दुर्भाग्य से अच्छे निर्माताओं द्वारा निर्मित आयुर्वेद औषधियों के बहुत अधिक मूल्य के कारण सामान्य उपभोक्ता इनका लाभ उठाने में असमर्थ हैं। अधिक उपयोग वाले सास्त्रीय आयुर्वेद योगों को अच्छे निर्माताओं द्वारा निर्मित करवा कर न्यूनतम मूल्य पर जन औषधि केन्द्रों पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इससे जनसामान्य में आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आयुर्वेद विशेषज्ञों से ऐसी औषधियों की सूची सरलता से बनवाई जा सकती है। जन औषधि केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन इसके साथ-साथ एलोपैथिक डाक्टरों व अस्पतालों द्वारा मरीजों को जेनेरिक नामों से दवा के पर्चे देना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि वे आसानी से जन औषधि केन्द्रों से दवाएं खरीद सकें। देश में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ाने तथा जनता को यथासंभव स्वास्थ्यरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यापक स्वास्थ्य शिक्षण अभियान चलाने की भी जरूरत है।

महिला सशक्तीकरण

महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में एक दिलचस्प मामला सामने आया है जहां महिला प्रतिनिधियों के बदले उनके पतियों ने पद की शपथ ली और अपना स्वागत करवाया। 6 महिला पंचों की जगह उनके पतियों को पंचायत सचिव ने शपथ दिलाई। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में महिला सशक्तीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं? सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण और अन्य प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी अधिकांश महिला प्रतिनिधियों का सारा कामकाज पति ही देखते हैं और जनता भी पतियों के पास ही काम करवाने जाती है। इस प्रकरण से स्पष्ट है कि हमारे समाज में अभी भी पितृसत्तात्मक मानसिकता हावी है। महिलाओं को घरेलू कामों तक समित और राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। हालांकि, महिलाएं राजनीति में अपनी भूमिका निभा रही हैं और सफलता प्राप्त कर रही हैं। कई महिलाएं मुख्यमंत्री और मंत्री के पदों पर आसीन हुई हैं। इसलिए हमें महिला सशक्तीकरण के लिए काम करने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों को सलाम करने के साथ ऐसी विकृतियां दूर करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

जरूरत है।

चीन की अपील

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से अपील की है वो ट्रम्प के टैरिफ या व्यापार युद्ध से जूझने एवं लड़ने के लिए चीन के साथ एक मंच पर आये। भारत और चीन को सबसे बड़ा पड़ोसी बताते हुए वांग यी ने कहा कि चीन का मानना है कि दोनों को साझेदार होना चाहिए और एक दूसरे की सफलता में योगदान देना चाहिए। ड्रैगन और हाथी के सहयोगी बनने से दोनों पक्षों को लाभ होगा। भारत के साथ सहयोग की इच्छा जाहिर करते हुए चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि आधिपत्यवाद और सत्ता की राजनीति का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। जब चीन और भारत हाथ मिलाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अधिक लोकतंत्र और एक मजबूत वैश्विक दक्षिण की संभावनाएं बेहतर होंगी। उन्होंने याद दिलाया कि यह चीन-भारत राजनीयक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का साल है। बदली परिस्थितियों में चीन भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार दिखता है, लेकिन भारत का अतीत के कड़वे अनुभवों से बाहर निकला आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन भारत के साथ अपने मतभेदों व सीमा समस्या का न्यायपूर्ण हल करने के लिए तैयार है या यह अपील केवल एक बयानबाजी है ?

- जंग बहादुर मिंह, जमशेदपुर

विदेश मंत्री की सरदारा

‘ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों की निष्क्रियता के चलते भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान खालिस्तानी अलगाव और आतंकवाद की झलक फिर नजर आई। एक उच्चस्तरीय राजनयिक के सामने उसके देश के राष्ट्रीय झंडे को फाड़ने की घटना अत्यन्त अपमानजनक व निंदनीय है। इस घटना से ब्रिटेन की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। वैसे खालिस्तानी तत्वों का ब्रिटेन में बढ़ता दुस्साहस कोई नई बात नहीं है। खालिस्तानी समर्थकों की अलगाववादी गतिविधियां कई बार ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में नजर आई हैं। ब्रिटेन ने इस घटना की निंदा करके औपचारिकता निभाई है लेकिन केवल निंदा करना ही काफी नहीं है। ब्रिटेन में काफी लंबे समय बाद लेबर पार्टी की सरकार आई है। ऐसे में यदि वह अपने देश को अलगाववादी व अतिवादी तत्वों का अड़ा बनने देती है तो यह लेबर पार्टी तथा स्वयं ब्रिटेन के लिए भी ठीक नहीं होगा। ब्रिटिश नेताओं को समझना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ भीड़तंत्र या अराजकता नहीं हो सकता है। भारत-ब्रिटिश संबंधों के लिए ऐसी घटनायें हानिकारक हो सकती हैं।

- अमृतलाल मारू, इंदौर

il.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

